

## विडियो कॉन्फ्रेन्स दिनांक 7 एवं 8 जून 2010 का कार्यवाही विवरण

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं आयुक्त, ईजीएस ने दिनांक 7 एवं 8 जून 2010 को विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों से नरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वप्रथम प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अब तक नरेगा के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों की संख्या, भुगतान की स्थिति, वॉल पेन्टिंग, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण की प्रगति, रिक्त पदों की स्थिति, एमआईएस फीडिंग, निरीक्षण, शिकायतों के निस्तारण एवं सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति पर समीक्षा की। जिन जिलों की प्रगति उपरोक्त बिन्दुओं पर कम थी उनका ध्यान विशेष रूप से दिलाया गया तथा उन्हें निर्देशित किया गया कि वे उक्त बिन्दुओं पर प्रगति निर्धारित मापदण्डों के अनुसार समयबद्ध रूप से करें।

इसके बाद उन्होंने जिलेवार योजना की प्रगति की समीक्षा की तथा उन्होंने निम्नानुसार निर्देश दिये :-

1. **भुगतान की स्थिति :-** नरेगा के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों के भुगतान के संबंध में विडियो कॉन्फ्रेन्स के दौरान यह जानकारी में आया कि अधिकांश जिलों में दिनांक 30.04.2010 तक का भुगतान हो चुका है। भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं बीकानेर में भुगतान दिनांक 15.05.2010 तक कर दिया गया है। इन जिलों की भुगतान की स्थिति सराहनीय रही है। अजमेर जिले में भुगतान 15.04.2010 का हुआ है। इन्हें दिनांक 15.05.2010 तक का भुगतान शीघ्र करने हेतु निर्देश दिये गये। गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों से भुगतान की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। शेष जिलों में दिनांक 15.05.2010 तक का भुगतान आंशिक रूप से पाया गया। प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिये कि श्रमिकों को दिनांक 15.05.2010 तक का भुगतान हर हालत में इसी सप्ताह में किया जावे। उन्होंने सहकारी समितियों एवं पोस्ट ऑफिसों से संबंधित समस्याओं के बारे में भी चर्चा की। लगभग सभी जिला कलेक्टरों ने बताया कि उनके यहां उक्त दोनों एजेन्सीयों से पूरा सहयोग मिल रहा है वे शीघ्र ही भुगतान की कार्यवाही करा देंगे। जिला कलेक्टरों को सहकारी समितियों को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.06.2010 के क्रम में रिवोल्विंग फण्ड के रूप में अग्रिम राशि हस्तान्तरण के संबंध में भी निर्देश दिये गये कि जिन जिलों में यह राशि हस्तान्तरित नहीं की है वे राशि का शीघ्र हस्तान्तरण कर दे। पोस्ट

ऑफिस से संबंधित समस्याओं पर भी राज्य स्तर पर उनके अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये कि वे सहकारी समितियों एवं पोस्ट ऑफिसों के जिला स्तरीय अधिकारियों से भुगतान की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा करें तथा समयबद्ध रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जावे। पोस्ट ऑफिस को हैड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस तक राशि हस्तान्तरित करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से सशस्त्र हॉम गार्ड की सुविधा जिला कलेक्टर द्वारा उपलब्ध कराई जावे।

2. **वॉल पेन्टिंग :-** सभी जिला कलेक्टरों ने बताया कि वर्ष 2008-09 के श्रम एवं सामग्री मद में व्यय को दीवारों पर लिखवा दिया गया है। लेकिन वर्ष 2009-10 की वॉल पेन्टिंग की कार्यवाही आंशिक रूप से पाई गई। भीलवाडा, टोंक, भरतपुर, करौली, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर एवं कोटा डिविजन के सभी जिलों में वर्ष 2009-10 की श्रम एवं सामग्री मद के व्यय को दीवारों पर लिखवाने के कार्य को शीघ्र करने के निर्देश दिये गये। प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिये कि वॉल पेन्टिंग वर्ष 2009-10 का कार्य 31 जुलाई 2010 से पहले हर हालत में पूरा कर लिया जावे।
3. **भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र :-** भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पंचायत समिति स्तरीय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में से अधिकांश जिलों में काम चालु हो गया है, लेकिन कुछ जिलों में उसके निर्माण की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अजमेर जिले की जवाजा पंचायत समिति में अभी कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है। बून्दी जिले में भी बून्दी ब्लॉक की स्वीकृति शेष है। अजमेर, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर एवं हनुमानगढ़ में अभी तक किसी भी ब्लॉक में निर्माण कार्य प्लिन्थ लेवल तक नहीं आया है। इनके निर्धारित समय में पूरा होने में संदेह हैं। कुछ जिलों में सामग्री क्रय करने की निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिये कि निर्माण सामग्री की निविदाओं को शीघ्र स्वीकृत करें, यदि दो बार निविदा जारी होने के बाद भी टेण्डर को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है तो इस कार्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लिमिटेड निविदाओं की कार्यवाही करें तथा भारत निर्माण राजीव गांधी

सेवा केन्द्रों का निर्माण निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायत स्तरीय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की प्रगति की स्थिति भी जिलों में संतोषजनक नहीं पाई गई। कई जिलों में अभी तक स्थानों का चिन्हीकरण भी पूरा नहीं हो पाया है तथा कार्य की स्वीकृति भी पूरी संख्या में जारी नहीं हो पाई है। जिला नागौर, हनुमानगढ़ एवं कोटा डिविजन के सभी जिलों में अभी तक समस्त स्वीकृतियां जारी नहीं हुई है। जिला अजमेर, नागौर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर तथा बीकानेर एवं कोटा डिविजन के समस्त जिलों में से किसी भी स्थान पर कोई भी निर्माण कार्य अभी तक छत लेवल तक नहीं पहुंचा है। सबसे कम प्रगति जिला सवाई माधोपुर, बीकानेर एवं हनुमानगढ़ में है जहां कोई भी निर्माण कार्य प्लिन्थ लेवल तक नहीं पहुंचा है। इस बारे में प्रमुख शासन सचिव ने खेद प्रकट किया तथा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि ग्राम पंचायत स्तरीय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण हर हालत में 2 अक्टूबर, 2010 से पहले किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिन ग्राम पंचायत में सरपंच इन केन्द्रों के निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं वहां पर एक समिति बनाकर उसके माध्यम से कार्य पूर्ण करवाया जावे।

4. रिक्त पदों को भरने की स्थिति :- सभी जिलों में अनुबंध कार्मिकों के काफी संख्या में पद रिक्त हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायक, एमआईएस मैनेजर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा ग्राम रोजगार सहायक के पद रिक्त रहने से योजना के क्रियान्वयन में निश्चित रूप से कठिनाई उत्पन्न होती है। जिला झालावाड, सवाई माधोपुर, नागौर, धौलपुर, करौली, गंगानगर एवं बून्दी जिलों में ग्राम रोजगार सहायकों के काफी पद रिक्त हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के बीकानेर में 36, करौली में 30, नागौर में 19, भीलवाडा में 17, अजमेर में 14, धौलपुर में 12 एवं बांरा में 15 पद रिक्त है। कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की सेवाएँ लेने की प्रगति भी बहुत कम है। जिला भीलवाडा, नागौर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चूरू, बांरा, झालावाड एवं कोटा में अभी तक एक भी रिक्त पद को नहीं भरा गया है। इसी प्रकार लेखा सहायकों के पद भी अजमेर में 20, धौलपुर में 9, गंगानगर में 6, बून्दी में 4 एवं झालावाड में 4 पद रिक्त है। एमआईएस मैनेजर के रिक्त पद भी जिला अजमेर में 8, नागौर में 3, टोंक में 6, गंगानगर में 5, झालावाड में 6, धौलपुर में 4

एवं करौली में 1 पद रिक्त है। अतः संविदा आधारित पदों को भरने के लिये सभी जिला कलेक्टरों को इन पदों को शीघ्र भरने के लिए निर्देश दिये गये। यह भी सुझाव दिया गया कि इन पदों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू रखकर पदों को भरा जा सकता है।

अधिकतर जिला कलेक्टरों ने अधिशाषी अभियंता नरेगा, सहायक अभियंता, सहायक लेखाधिकारी एवं लेखाकारों के प्रतिनियुक्ति के रिक्त पदों को भरने के लिए निवेदन किया। प्रमुख शासन सचिव ने इन पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही करने के लिए आशवासन दिया।

कुछ जिलों के कलेक्टरों ने बताया कि उनके यहां श्रमिकों का नियोजन कम है। अतः यदि वे इन पदों को भरते हैं तो उनके यहां प्रशासनिक मद का व्यय 6 प्रतिशत की सीमा से अधिक होता है। प्रमुख शासन सचिव निर्देश दिये कि जिला कलेक्टर अपने स्तर पर समीक्षा करें तथा श्रमिकों के नियोजन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही करें। जिन ग्राम पंचायत में कार्य कम हो वहां पर नियोजित स्टाफ को कार्य व्यवस्था हेतु उन ग्राम पंचायत में लगाया जा सकता है जहां कार्य अधिक हों।

5. एम.आई.एस. फीडिंग :- एमआईएस फीडिंग की वर्ष 2009-10 में श्रम मद की स्थिति अजमेर, बांरा, बून्दी, जयपुर एवं जैसलमेर जिलों के अलावा अन्य जिलों की ठीक पाई गई लेकिन सामग्री मद के व्यय की फीडिंग काफी कम है। सामग्री मद की फीडिंग जिला अजमेर, भीलवाडा, टोंक, भरतपुर, करौली, चूरू, गंगानगर एवं कोटा डिविजन के समस्त जिलों में कम पाई गई। वर्ष 2010-11 की फीडिंग का कार्य भी किसी भी जिले में संतोषजनक नहीं पाया गया। प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिये कि वर्ष 2009-10 की श्रम एवं सामग्री मद की एमआईएस की फीडिंग शीघ्र की जावे। वर्ष 2010-11 में एमआईएस की फीडिंग की स्थिति बहुत कम पाई गई। अतः इस बारे में विशेष रूप से निर्देश दिये गये कि एमआईएस की फीडिंग समयबद्ध रूप से की जावे। जिस माह में भुगतान होता है उसी माह में एमआईएस फीडिंग का कार्य भी पूरा किया जावे। आगे से मस्टररोल आदि का कार्य ऑन-लाईन किया जाना है इसकी तैयारी भी पहले से पूरी करली जावे। यह भी सुनिश्चित करे की एमआईएस की फीडिंग का कार्य सही सही हो। कुछ जिलों में एमआईएस फीडिंग में काफी विरोधाभाष है। अतः सम्बन्धित जिला कलेक्टर

एमआईएस मैनेजर को साथ बिठाकर इसी सप्ताह में एमआईएस फीडिंग के कार्य की समीक्षा करें तथा जहां पर विरोधाभाष है। एमआईएस फीडिंग के कार्य को गम्भीरता से ले भविष्य में यदि एमआईएस फीडिंग समय पर नहीं हुई है तो जिले को राशि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।


6. **निरीक्षण :-** निरीक्षण की स्थिति टोंक, करौली, बीकानेर, कोटा, बांरा, झुझुंनू, बाडमेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बासवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों में अभी भी निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार नहीं है। कुछ जिलों में स्वयं जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि के ही निरीक्षण कम है। जिला कार्यक्रम समन्वयक भीलवाड़ा, नागौर, भरतपुर, गंगनगर, हनुमानगढ़ एवं झालावाड़ के निरीक्षण नॉर्म्स के अनुसार पाये गये जिनकी सराहना की गई। जिन जिलों में निरीक्षण नॉर्म्स से कम पाये गये उनमें आगे से सभी अधिकारियों को समयबद्ध रूप से निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये। चित्तौड़गढ़ जिले में जिला कलेक्टर ने विशेष टीम बनाकर उन पंचायतों का निरीक्षण करवाया है जहां पर गत वित्तीय वर्ष में सामग्री मद में अधिक राशि खर्च की गई है। अन्य जिलों में भी इस तरह की कार्यवाही की जा सकती है।
7. **लम्बित शिकायते :-** सभी जिला कलेक्टरों को उनके यहां लम्बित शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये गये हैं तथा विशेष रूप से 3 माह एवं 6 माह से अधिक लम्बित शिकायतों का निस्तारण इसी सप्ताह में करने के निर्देश दिये गये हैं।
8. **अलर्टस :-** कई जिलों में भारत सरकार की वेबसाइट पर अलर्टस आ रहे हैं जिनमें बेरोजगारी भत्ता आदि के भी प्रकरण बकाया बताये गये हैं। जिला कलेक्टर स्वयं एमआईएस मैनेजर को साथ बिठाकर एमआईएस फीडिंग की समीक्षा करें कि किस कारण से अलर्टस आ रहे हैं। उन्हें दूर करने की कार्यवाही इसी सप्ताह की जावे।
9. **सामाजिक अंकेक्षण :-** योजना के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। जिसको समयबद्ध रूप से किया जाना आवश्यक है। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ जिलों में अभी भी पंचायत स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण समिति का गठन ग्राम सभा के माध्यम से नहीं किया गया है। कुछ जिलों में विलेज लेवल कमेटी का गठन ग्रामवार नहीं कर केवल पंचायतवार किया है, जबकि इसका गठन ग्रामवार होना है। यह भी तथ्य सामने आया है कि कई जिलों में सामाजिक अंकेक्षण

समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण भी नहीं हुआ है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22.04.2010 के द्वारा निर्धारित कलेण्डर के अनुसार इन समितियों का दिनांक 15.08.2010 से अपना कार्य प्रारम्भ करना है। अतः निर्देश दिये गये कि जिन जिलों में अभी तक निर्धारित कलेण्डर के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण समितियों का गठन व प्रशिक्षण नहीं हुआ है वे इसका संशोधित कलेण्डर दो दिन में इस कार्यालय में भेजे तथा संशोधित कलेण्डर के अनुसार शेष रही समस्त कार्यवाही पूरी कराकर दिनांक 15.08.2010 से इन समितियों के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10. हरित राजस्थान :- इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि इस विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हरित राजस्थान के अन्तर्गत वृक्षा रोपण की कार्यवाही करवाई जावे। चूकि मानसून आने में अब बहुत कम समय रह गया है। अतः इसकी प्रारम्भिक तैयारी अभी से प्रारम्भ कर दी जावे तथा योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जावे।

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस ने विडियो कॉन्फ्रेस में निर्देश दिये कि जिला कलेक्टर अपने क्षेत्र कि किसी भी एक पंचायत समिति में जाकर उसका गहनता से निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान नरेगा से संबंधित सभी कार्यों, मस्टररोल जारी करने की प्रक्रिया, लेखा रजिस्ट्रों के संधारण, भुगतान की स्थिति एवं एमआईएस अलर्ट्स की सम्पूर्ण स्थिति को देखे उन्होंने यह भी बताया कि योजना के अन्तर्गत सामग्री मद में व्यय की नियमित रूप से मॉनेटरिंग करें। पंचायत समितियों में माप के लिए लम्बित मस्टररोलों की संख्या, भुगतान के लिए शेष मस्टररोलों की संख्या, राशि पोस्ट ऑफिस, सहकारी संस्थाओं को स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया आदि को भी संघन रूप से देखे। एमआईएस मैनेजर के साथ विचार विमर्श कर जिले से संबंधित अलर्ट्स को हटाने की कार्यवाही की जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि एमआईएस की फीडिंग सही-सही तरीके से की जा रही है।

इसके बाद बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।



(बद्री नारायण)

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्र. एफ 51( ) ग्रावि/नरेगा/वीसी/10-11

जयपुर, दिनांक:-

11 4 JUN 2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव (मुख्यमंत्री), मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस